भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना कमांक का.आ. 1533(अ), दिनांक 14 सितबर 2006 के प्रावधानों के तहत मेसर्स कुसमुण्डा कोलवॉशरी प्रोजेक्ट, ग्राम–दुरपा एवं जरहाजेल, तहसील–कटघोरा, जिला– कोरबा, क्षमता 25 एमटीपीए (लीज एरिया–41.23 हेक्टे.)में पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में लोक सुनवाई दिनांक 11.04.2016, दिन– सोमवार, स्थान–शासकीय हाई स्कूल परिसर , मॉ सर्वमंगला नगर (पुर्नवासित ग्राम–दुरपा), तहसील–कटघोरा, जिला कोरबा में आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है:–

भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 1533(अ), दिनांक 14 सितंबर 2006 के प्रावधानों के तहत एसईसीएल कुरासुण्डा क्षेत्र के अंतर्गत मेसर्स कुसमुण्डा कोलवॉशरी प्रोजेक्ट, ग्राम–दुरपा एवं जरहाजेल, तहसील–कटघोरा, जिला कोरबा, क्षमता 25 एमटीपीए (लीज एरिया–41.23 हेक्टे.) में पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में अपर कलेक्टर कोरबा की अध्यक्षता में एवं क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, कोरबा की उपस्थिति में दिनांक 11.04.2016 दिन–सोमवार को स्थान–शासकीय हाई स्कूल परिसर, मॉ सर्वमंगला नगर (पुर्नवासित ग्राम दुरपा) , तहसील–कटघोरा , जिला–कोरबा में प्रातः 11:00 बजे लोक सुनवाई प्रारंभ हुई।

सर्वप्रथम श्री रंजन पी.शाह, महाप्रबंधक (खनन), मेसर्स कुसमुण्डा ओपन कास्ट कोल माइन , एसईसीएल, कुसमुण्डा क्षेत्र द्वारा कोलवॉशरी प्रोजेक्ट और पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रतिवेदन (ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट) के कार्यपालिक सार का प्रस्तुतीकरण उपस्थित जन समुदाय के समक्ष किया गया।

मेसर्स कुसमुण्डा कोलवॉशरी प्रोजेक्ट, ग्राम–दुरपा एवं जरहाजेल, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा, क्षमता 25 एम्टीपीए (लीज एरिया–41.23 हेक्टे.) में

पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने बाबत् लोक सुनवाई के संबंध में लोक सुनवाई सूचना प्रकाशन तिथि से दिनांक 10.04.2016 तक क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, कोरबा में लिखित में 13 चिंताएँ/सुझाव/विचार/टीका टिप्पणी एवं आपत्तियाँ प्राप्त हुई। दिनांक 11.04.2016 को आयोजित लोक सुनवाई के दौरान लिखित में 27 चिंताएँ/सुझाव/विचार/ टीका-टिप्पणी एवं आपत्तियाँ प्राप्त हुई। इस प्रकार लिखित में कुल 40 चिंताएँ/सुझाव/विचार /टीका-टिप्पणी एवं आपत्तियों के संबंध में आवेदन प्राप्त हुये। स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को परियोजना के संबंध में सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अवसर दिया गया। लोक सुनवाई के दौरान 42 व्यक्तियों के द्वारा मौखिक रूप से चिंताएं/सुझाव/विचार/टीका टिप्पणी एवं आपत्तियाँ अभिव्यक्त की गई। लोक सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से अभिव्यक्त चिंताओं/सुझाव/विचार/टीका/टिप्पणी एवं आपत्तियों आदि को सुनकर अभिलिखित किया गया। लोक सुनवाई के दौरान लगभग 600-650 व्यक्ति उपस्थित थे। जिसमें से 70 व्यक्तियों द्वारा उपस्थिति पत्रक में हस्ताक्षर किये गये।

लोक सुनवाई में मौखिक रूप से निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा चिंताओं/सुझाव/विचार/टीका-टिप्पणी एवं आपत्तियाँ की गई :-

1. **श्री लक्ष्मी चौहान, सचिव, सार्थक, कोरबा , जिला-कोरबा -**

   - एसईसीएल प्रबंधन द्वारा कोलवॉशरी की पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन(ई.आई.ए.) रिपोर्ट के सेक्शन III में प्रस्तुत संलग्नक की जानकारी कुसमुण्डा ओपन कास्ट कोल माइन, एसईसीएल, कुसमुण्डा क्षेत्र के क्षमता विस्तार नार्मेटिव 15 एमटीपीए से 50 एमटीपीए (पीक 18.75 एमटीपीए से 62.50 एमटीपीए) के लोक सुनवाई हेतु प्रस्तुत पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन (ई.आई.ए.)रिपोर्ट के सेक्शन II में प्रस्तुत संलग्नक की पूर्णतः फोटोप्रति है।
   - भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,नई दिल्ली द्वारा कुसमुण्डा कोल वॉशरी को प्रदत्त TOR के लिए बेस लाईन डाटा जिस लैब

से तैयार किया गया है, वो मान्यता प्राप्त है या नहीं। अगर मान्यता प्राप्त है तो लैब का पंजीयन क्रमांक क्या है?

- ई.आई.ए. मे वर्णित भूमि में ग्राम जरहाजेल एवं ग्राम दुरपा से लिये गये क्षेत्र का वर्णन नहीं किया गया है, कारण स्पष्ट करें ?

एसईसीएल प्रबंधन पहले नियमानुसार कार्यवाही करें, उसके पश्चात ही लोक सुनवाई करवायें।

2. **श्री शिरिश कुमार, पूर्व पार्षद, ग्राम–मैरोताल, वार्ड क्रमांक 48, कोरबा, जिला कोरबा** – ग्राम–सुराकछार से कोरबा की ओर जाने वाली सड़क मार्गों पर कोलडस्ट प्रदूषण व्याप्त है जिससे लोगों को चलने में असुविधा होती है। उक्त कोलवॉशरी की स्थापना से प्रदूषण का स्तर बढ़ेगा। कृषकों को कृषि के लिए पानी नही मिलेगा। एसईसीएल ना तो प्रभावित लोगों को रोजगार देता है ना ही अपना पूर्व वादा पूरा करता है, कोलवॉशरी लगाने की आवश्यता नही है, इसका हम विरोध करते है।

3. **श्री केदारनाथ अग्रवाल, कोरबा, जिला–कोरबा** – एसईसीएल प्रबंधन द्वारा पूर्व में अधिग्रहित जमीन पर भू विस्थापितों आज तक मुआवजा एवं रोजगार नही दिये गये है। एसईसीएल पहले अपना वादा पूरा करें। कोलवॉशरी की स्थापना से प्रदूषण का स्तर बढ़ने के साथ साथ ट्रकों के आवागमन में वृद्धि होगी, जिससे सड़क हादसों में भी वृद्धि होगी। हम इस लोकसुनवाई का घोर विरोध करते है।

4. **श्री अशोक पटेल, पूर्व पार्षद, ग्राम दुरपा, जिला कोरबा–** पुनर्वासित ग्राम –दुरपा के लोगों को एसईसीएल प्रबंधन द्वारा सुविधा के नाम पर कुछ नही दिया गया है। दुरपा में एसईसीएल द्वारा ना तो पौधारोपण किया गया है ना ही भवन का निर्माण, अस्पताल का निर्माण किया गया है ग्राम–दुरपा से 200 मीटर की दूरी में यह कोलवॉशरी स्थापित हो रही है, एसईसीएल प्रबंधन यह बतायें कि उद्योग से बस्ती की दूरी कितनी होनी चाहिए।

5. **श्री श्याम सुंदर सोनी, अध्यक्ष , कांग्रेस, जिला कोरबा** – एसईसीएल प्रबंधन ग्रामीणों से केवल लुभावने वादे करते है, किन्तु काम होने के बाद कुछ नही करते है। प्रशासन भी इस संबंध में कुछ नही करता है। नौकरी के इंतजार में भू–विस्थापितों का जीवन समाप्त हो जाता है, लेकिन नौकरी नही मिल पाती। कोरबा को सिर्फ आय का साधन बना दिया गया है। जनता के हित में कोई कार्य नही किया गया है, अतः हम वॉशरी का विरोध करते है।

6. **श्री संतोश राठौर, पूर्व सभापति , नगर पालिक निगम , कोरबा जिला–कोरबा** – कोरबा में पानी की पूर्व से समस्या है, लोगों को पानी खरीद के पीना पड़ रहा है। कुआं , तालाब का पानी एसईसीएल के कारण पूरा खराब हो गया है। एसईसीएल द्वारा विस्थापित गांवों में एक भी पानी टंकी नही लगाई गई है । अस्पताल में सुविधा के नाम पर एक ही एम्बुलेंस है, किन्तु दवाई नही है। समस्त नियमों का पालन करने के बाद ही कोलवॉशरी लगाया जावे।

7. **श्री महेश अग्रवाल, पूर्व पार्षद, नगर पालिक निगम, कोरबा, जिला–कोरबा** – एन.जी.टी., नई दिल्ली के अपील कमांक 20/2012 दिनांक 31.05.2012 में आदेश पारित कर निर्देशित किया गया था कि सभी उद्योग/ खदान जारी टी.ओ.आर. का पूर्ण रूप से पालन करें, जिसके तहत् हैवी मेटल एनालिसिस, प्रदूषण का आंकलन आदि किया जाना है किन्तु प्रबंधन द्वारा माननीय एन.जी.टी. के आदेश का भी पालन नहीं किया गया है। ई.आई.ए. हिन्दी में उपलब्ध कराना था , किन्तु प्रबंधन द्वारा ई.आई.ए. की हिन्दी में उपलब्ध नही कराई गई है।

8. **श्री संतोश कुमार लांजकर, कांग्रेस सेवा दल, कोरबा** – ग्राम–दुरपा में ग्रामीणों से जो भूमि ली गई थी, उन ग्रामीणों को पूर्ण रूप से अभी तक रोजगार नही मिल पाया है। एसईसीएल स्थानीय लोगों को नौकरी नही देता है, तो हम वॉशरी नही लगाने देंगें ।

9. **श्री बी.एम.मनोहर, श्रमिक संगठन प्रतिनिधि, कुरामुण्डा** – प्रस्तावित कोलवॉशरी में मजदूर हित का भी ध्यान रखा जावें। एसईसीएल नियम एवं शर्त का पूर्ण रुप से पालन करें एवं प्रदूषण को कम करें।

10. **श्री अरुणीश तिवारी, पार्षद, नगर पालिका परिषद, दीपका** – कोरबा शहर पूर्व से औद्योगिक शहर है अतः प्रदूषण की व्यापक समस्या है अतः कोल वॉशरी की स्थापना नही की जानी चाहिए। कोलवॉशरी की स्थापना किया जाना इतना ही आवश्यक है तो कोलवॉशरी की स्थापना जिला–कोरबा से बाहर करें । क्योंकि कोरबा प्रदूषण के क्षेत्र में अतिसंवेदनशील क्षेत्र है। भारत सरकार द्वारा प्रदूषण के परिपेक्ष्य में किये गये सर्वे के अनुसार कोरबा में 71 से 73 प्रतिशत प्रदूषण व्याप्त है, जो कि अत्यधिक है। एसईसीएल प्रबंधन दिये जा रहे सुविधा की जानकारी कागजों में ही दे रहे है। यदि समस्त कार्यो का पूर्ण रुप इम्पीलिमेंट हो जाता , तो आज इतना विरोध नहीं होता।

11. **श्री कालीचरण चौहान , गेवरा बस्ती, जिला–कोरबा** – जब तक कोरबा में प्रदूषण के स्तर में सुधार नही किया जावेगा तब तक कोलवॉशरी नही लगेगी।

12. **श्री राजा सिंह क्षत्री, ग्राम–दुरपा, जिला कोरबा** – एसईसीएल प्रबंधन ने धोखा किया है, हमारी जमीन ले लिया है , जिसके बदले में ना तो रोजगार मिला है ना ही कुछ और। हमें हमारी भूमि और कम के बदले में केवल धूल डस्ट और कोयला मिला है। मैं भू–विस्थापित परिवार से हूँ , मेरे परिवार में आज तक किसी को भी नौकरी नही मिला है एसईसीएल किसी के बदले किसी और को नौकरी देता है। हम अपने क्षेत्र में कोलवॉशरी नही खोलने देंगे।

13. **श्री गोपी सिंह राजपूत क्षत्री, सर्वमंगला नगर, जिला–कोरबा** – कोरबा में हम धोखा बहुत खाये है , अब कोयला नही खायेंगें। कोलवॉशरी की स्थापना करने की योजना कई वर्षो से चल रही है, लेकिन हम ग्रामीणों अभी पता चला है

कि कोलवॉशरी स्थापित की जा रही है। मैं कोलवॉशरी लगाने का विरोध करता हूँ ।

14. **श्री इन्द्र प्रताप कैवर्त , जहराजेल, कोरबा, जिला कोरबा** जहराजेल के ग्रामीण अभी तक रोजगार के लिए भटक रहे है। पुनर्वासित ग्राम दुरपा एवं जहराजेल में मूलभूत सुविधा पानी ,शिक्षा,स्वास्थ्य आदि की व्यवस्था नही है। एसईसीएल द्वारा नामाकन सही तरीके से नही किया गया है। जरहाजेल के लोगों को कहां बसाहट दी गई है, एसईसीएल बतायें।

15. **श्री तिलक कुमार पटेल, दुरपा , जहराजेल , जिला–कोरबा** – कोरबा में इतना प्रदूषण है कि दिन रात हमें परेशानी होती है। कॉशरी खुलने के बाद और प्रदूषण होगा हम प्रदूषण को और नही झेल पायेंगें।

16. **मो.इमरान खान , दुरपा, कोरबा** कोरबा के लोग कोल डस्ट एवं राख से बीमार पड़ रहे है। एसईसीएल आज लोकसुनवाई होने पर रोड में पानी का छिड़काव कर रहा है। क्योंकि प्रशासन एवं एसईसीएल के अधिकारी आज आ रहे है। किन्तु एसईसीएल द्वारा रोज सड़कों पर जल छिड़काव नही किया जाता है। जिससे हम ग्रामीणों को रोज प्रदूषण की मार झेलना पड़ रहा है। हमारी भी सुरक्षा का इंतजाम एसईसीएल करें। यदि कोलवॉशरी बनेगी , तो आंदोलन बहुत बड़ा होगा।

17. **खातुन बी. ग्राम दुरपा, जिला कोरबा** – ग्राम दुरपा में हमें कोई कारखाना नही चाहिए। कारखाना लगेगा तो आंदोलन करेगें।

18. **श्री गोकुल सिंह क्षत्री, रावगंगला नगर ,कोरबा** एसईसीएल प्रबंधन द्वारा आज दिनांक तक ग्राम–दुरपा में एक भी तालाब नही बनवाया, जबकि तालाब बनवाने के लिए स्वयं सांसद महोदय ने भी एसईसीएल के अधिकारियों को कहा था। एसईसीएल प्रबंधन द्वारा पौधा रोपण नहीं किया जाकर उल्टा पौधों को काटा जा रहा है। केवल बबूल या कंटीली झाड़ियो जैसे पौधा का रोपण

किया जाता है, छायादार पौधो का रोपण नहीं किया जाता है। सड़क मार्गों का चौड़ीकरण एवं सड़क मार्गों पर बिजली की व्यवस्था क्यों नहीं की गई है?

19. **श्री दिलीप कुमार प्रजापति , ग्राम–दुरपा, कोरबा** – एसईसीएल जब से यहाँ आये है, तब से हमें यही कहते है कि काला धुंआ खाओं। अब हम नही खायेगें।

20. **श्रीमती रंगबाई महंत, ग्राम–दुरपा, जिला कोरबा** – हम कोयला राखड खा के जी रहे है। बॉशरी नही खुलने देगें हम। बॉशरी खुलेगी तो हम सब माता बहनों को बहुत परेशानी होगी।

21. **श्री इतवार दास महंत , ग्राम दुरपा, कोरबा,जिला–कोरबा** – एसईसीएल नौकरी नही दे रहा है। एसईसीएल नौकरी दे तो ठीक है , नही तो मेरी यह डाक्युमेंट फाड़ कर मेरी आशा समाप्त कर दीजिए।

22. **माननीय श्री जयसिंह अग्रवाल, विधायक , कोरबा, जिला–कोरबा**– मेरी जानकारी के अनुसार लोक सुनवाई में पर्यावरण के बारे में मुद्दता होना चाहिए , लेकिन हर बार आग जनता मूलभूत सुविधा के लिए ही बोलती है। मेरी जानकारी के अनुसार कोलवॉशरी हेतु निविदा में विदेशी कंपनियों ने ही भाग लिया है। इस कोलवॉशरी से देश को नही बल्कि विदेशों को ही लाभ होगा। कौन कौन से कंपनियों द्वारा कोलवॉशरी हेतु निविदा आमंत्रित की गई है, एसईसीएल प्रबंधन इसकी जानकारी देवें। रौकडों लोग हमारे पास एसईसीएल के मुआव्जो और नौकरी के लिए आते है। एसईसीएल प्रबंधन भू–विस्थापितों के लिए कुछ नहीं कर रही है। कोलवॉशरी से भले ही थोड़ा लाभ देश को होगा। , किन्तु भूल डस्ट कोरबा की जनता खायेगी। एसईसीएल प्रबंधन कोलवॉशरी के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के पूर्व ही सारी प्रकिया पूर्ण कर रहा है। जिसने भी कोलवॉशरी स्थापना का विरोध किया है , मैं उन जनता के साथ हूँ। कोलवॉशरी स्थापित नही किया जावे। प्रदूषण के स्तर को और नही बढ़ाइए एसईसीएल प्रबंधन जनता के अनुरुप काम करें।

23. **श्री जयसिंह , सर्वमंगला नगर , कोरबा** एसईसीएल आज बसाहट करता है, कल उजाड़ देता है। एसईसीएल द्वारा बसाहट/पुर्नवास के लिए जिस सेक्शन 9 एवं सेक्शन-4 के तहत् भूमि अधिग्रहण किया जाता है, उस सेक्शन-9 एवं सेक्शन - 4 की परिभाषा/उद्देश्य क्या है ? स्पष्ट कीजिए। कोलवॉशरी नही खुलनी चाहिए । कोलवॉशरी के खुलने से हमारे बच्चे और घरवाले बीमार होंगें।

24. **श्री मिर्जा तस्लीम ग्राम-दुरपा , जिला कोरबा** - कोलवॉशरी लगाने का विरोध करता हुँ , क्योंकि इसके लगने से प्रदूषण बढ़ेगा।

25. **श्रीमती सीमा राजपूत, सर्वमंगला नगर , कोरबा** - मैं कोलवॉशरी का विरोध कर रही हुँ , पूरी जनता हमारे साथ है। हमने पहले भी एसईसीएल के विरुद्ध हड़ताल किया है।ग्राम- दुरपा में तालाब बनाने के लिए बोलते रहते है, लेकिन आज तक तालाब नही बनाया गया है। नहर में डूबने से बच्चे मरते है, इसका जिम्मेदार एसईसीएल होगा।

26. **श्रीमती दयामती , जरहाजोल , कोरबा, जिला-कोरबा** – जरहाजोल के लोगों को एसईसीएल नौकरी नही देता है, कोलवॉशरी का हम विरोध कर रहे है।

27. **श्री दिलीप कुमार यादव , भारतीय मजदूर संघ , कुसमुण्डा** - कोरबा का विकास होगा, कोलवॉशरी की स्थापना से। कोलवॉशरी लगने का मैं समर्थन करता हुँ।

28. **श्री मिर्जा हकीम , सर्वमगला नगर , कोरबा** – हमारे गांव को प्रदूषण से मुक्त रखना है, कोलवॉशरी की स्थापना नही होनी चाहिए।

29. **श्री सुनील कुमार अग्रवाल, सर्वमंगला नगर , कोरबा** – कोलवॉशरी नही खुलने देंगें। कोलवॉशरी खुलने से कोल डस्ट प्रदूषण होगा।

30. **श्रीमती सुशीला पटेल, सर्वमंगला नगर , दूरपा, कोरबा–** कोलवॉशरी का विरोध करतीहुँ कोलवॅशरी नही खुलना चाहिए।

31. **श्री जितेन्द्र सिंह राजपूत, सर्वमंगला नगर , दूरपा, कोरबा** मैं कुसगुण्डा वॉशरी का विरोध करत हुँ । कोलवॉशरी नही खुलना चाहिए।

32. **श्रीमती चंदाबाई पटेल, सर्वमंगला नगर , दूरपा, कोरबा** यह कोलवॉशरी नही खुलना चाहिए। मैं इसका विरोध करती हुँ।

33. **श्रीमती बजारहिन बाई, सर्वमंगला नगर , दूरपा, कोरबा** यहॉ पर कोलवॉशरी नही खुलना चाहिए।

34. **श्री गौतम कुमार यादव, सर्वमंगला नगर , दूरपा, कोरबा–** कोलवॉशरी का विरोध करता हुँ।

35. **श्री सुखदेव सिंह राजपूत, जहराजेल, कोरबा** – कोलवॉशरी का विरोध करता हुँ।

36. **श्री फूलचंद केंवट, जहराजेल , कोरबा** – मैं इस कोलवॉशरी का पुरजोर विरोध करता हुँ।

37. **श्री कुशल प्रसाद प्रजापति, सर्वमंगला नगर, दूरपा** – मैं इस कोलवॉशरी का पुरजोर विरोध करता हुँ।

38. **श्रीमती चंद्रिकाबाई , सर्वमंगला नगर, दूरपा** – मैं इस कोलवॅशरी का विरोध करता हुँ।

39. **श्री कपिल केंवट, सर्वमंगला नगर, दूरपा** – मैं इस कोलवॉशरी का विरोध करता हुँ।

40. **श्री महेन्द्र कुमार पटेल, सर्वमंगला नगर, दूरपा** – मैं इस कोलवॉशरी का विरोध करता हुँ।

41. **श्री संजय कुमार प्रजापति, सर्वमंगला नगर, दूरपा** – मैं इस कोलवॉशरी का विरोध करता हूँ। इस कोलवॉशरी का स्थापना नहीं होना चाहिए।

42. **श्री इन्द्र प्रकाश देवांगन, जरहाजेल** – ग्राम जरहाजेल वासियों को आज दिनांक तक पुर्नवासित नहीं किया गया है।

लोक सुनवाई के पूर्व एवं लोक सुनवाई के दौरान लिखित रूप से निम्नानुसार चिंताओं/सुझाव/विचार/ टीका टिप्पणी एवं आपत्तियाँ प्राप्त हुई है :–

1. **माननीय श्री जयसिंह अग्रवाल, विधायक , कोरबा, जिला–कोरबा द्वारा 02 आवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें निम्नानुसार तथ्य उल्लेखित है– –**

- ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 एवं TOR के अनुसार उपरोक्त परियोजना के लिए उपलब्ध करायी जाने वाली समस्त जानकारी, आंकड़े जो कि अंग्रेजी में हो उनकी प्रमाणित अनुवाद के साथ स्थानीय भाषा (हिन्दी) में उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
- कोलवॉशरी की स्थापना किये जाने से क्षेत्रवासियों एवं कोरबा शहर वासियों पर प्रदूषण के पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में सही आंकलन नही किया जा सकता है।
- एसईसीएल प्रबंधन द्वारा कोलवॉशरी की पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन(ई.आई.ए.) रिपोर्ट के सेक्शन III में प्रस्तुत संलग्नक की जानकारी कुसमुण्डा ओपन कास्ट कोल माइन , एसईसीएल, कुसमुण्डा क्षेत्र के क्षमता विस्तार नार्मेटिव 15 एमटीपीए से 50 एमटीपीए (पीक 18.75 एमटीपीए से 62.50 एमटीपीए) के लोक सुनवाई हेतु प्रस्तुत पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन (ई.आई.ए.)रिपोर्ट के सेक्शन II में प्रस्तुत संलग्नक की पूर्णतः फोटोप्रति है।
- उक्त परियोजना के लिए जारी किये गये टी.ओ.आर में स्पष्ट कहा गया है कि परियोजना से प्रभावित लोगों के लिए सी.एस.आर. मद से किये गये व किये जाने वाले कार्यों का पूर्ण विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट में दिया जाना था, जो कि नही दिया गया है।

2. **श्री लक्ष्मी चौहान, सचिव सार्थक, कोरबा द्वारा 04 आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें निम्नानुसार तथ्य उल्लेखित है–**

- एसईसीएल प्रबंधन द्वारा कोलवॉशरी की पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन(ई.आई.ए.) रिपोर्ट के सेक्शन III में प्रस्तुत संलग्नक की जानकारी कुसमुण्डा ओपन कास्ट कोल माइन , एसईसीएल, कुसमुण्डा क्षेत्र के क्षमता विस्तार नार्मेटिव 15 एमटीपीए से 50 एमटीपीए (पीक 18.75 एमटीपीए से 62.50 एमटीपीए) के लोक सुनवाई हेतु प्रस्तुत पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन (ई.आई.ए.)रिपोर्ट के सेक्शन II में प्रस्तुत संलग्नक की पूर्णतः फोटोप्रति है।
- ई.आई.ए.रिपोर्ट में देश में रिजेक्ट कोल आधारित (एफ.बी.सी. एवं सी.एफ.बी.सी.) कुल कितने विद्युत संयंत्र स्थापित है, एवं उक्त विद्युत संयंत्रों की उत्पादन क्षमता की जानकारी नही दी गई है
- एफ.बी.सी. एवं सी.एफ.बी.सी. बायलर आधारित विद्युत संयंत्र में 1 मेगावॉट विद्युत उत्पादन में औसतन कितने टन रिजेक्ट की आवश्यकता होगी।
- कोरबा जिले में स्थापित कोलवॉशरी से प्रतिवर्ष कुल कितना टन रिजेक्ट कोल उत्पन्न हो रहा है, एवं कुल कितनी मात्रा में रिजेक्ट कोल का खपत हो रहा है, की जानकारी भी ई.आई.ए. में नही दिया गया है।
- प्रस्तावित कोलवॉशरी से निकलने वाले लगभग 7.8 एमटीपीए रिजेक्ट कोल का उपयोग किन संयत्रो द्वारा किया जावेगा। उनके एम.ओ.यू. की प्रति उपलब्ध करावें।
- प्रस्तावित कोलवॉशरी से निकलने वाले वाश्ड कोल का उपयोग , जिन संयंत्रों द्वारा किया जावेगा। उन संयंत्रों के एम.ओ.यू. के प्रति उपलब्ध करावें।
- माइन के 524 हेक्टे. भूमि विगत 37 वर्ष से कोयले का उत्पादन किया जा रहा है, बावजूद इसके 41 हेक्टे. भूमि कोलवॉशरी के लिए कहां से उपलब्ध हो गयी?
- कुसमुण्डा परियोजना द्वारा कुल कितने हेक्टे. समतल भूमि पर वृक्षारोपण किया गया है। कुल वृक्षारोपण की संख्या , वृक्षारोपण के क्षेत्रफल आदि की जानकारी भी ई.आई.ए. रिपोर्ट में नही दी गई है।
- टी.ओ.आर. एवं ई.आई.ए. रिपोर्ट में अक्षांश एवं देशांतर व प्रस्तावित परियोजना स्थल में समानता नही है।

3. **श्री बी.एन. शुक्ला, महामंत्री, एसईसीएल, गेवरा क्षेत्र , जिला–कोरबा .**

- उद्योग में होनेवाले जल खपत के लिए संबंधित विभाग से अनुमति लिये जाने की जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट की में नही दी गई है?

- कोलवॉशरी की ई.आई.ए. रिपोर्ट मे हैवी मैटल एनालाइसिस की भी चर्चा नही की गई है।
- कार्पोरेट इनवायरोमेंट रिसपांसबिलिटी की जानकारी ई.आई.ए. मे नहीं दी गई है। इस प्रकार ई.आई.ए.रिपोर्ट में पूर्ण रुप से जानकारी नहीं दी गई है

4. **श्री बुगल कुमार दुबे, अध्यक्ष , नगर पालिका परिशद , दीपका, श्री रेशम लाल यादव, अध्यक्ष , गेवरा दीपका क्षेत्र, का. अध्यक्ष , एसईसीएल, श्री अरुणीष तिवारी, पार्षद, एवं समाज सेवी, नगर पालिका परिषद, , दीपका, श्री देवी प्रसाद सिंह टेकाम, अध्यक्ष ,जिला पंचायत , कोरबा , श्रीमती उमा देवी पन्ना , सभापति, सहकारिता एवं उद्योग समिति, जिला पंचायत, कोरबा, श्री संजय कुमार शर्मा, भारतीय कोयला खदान , मजदूर संगठन , बिलासपुर, धनेश्वरी सिन्दाम, सभापति, कृषि, स्थायी समिति , जिला पंचायत , कोरबा, सृष्टि सूर्यमुखी सिंह , पार्षद, वार्ड कमांक 59 , कुसमुण्डा , नगर पालिक निगम , कोरबा , श्रीमती प्रेमा चन्द्रा, पार्षद, वार्ड कमांक 58, नगर पालिक निगम , कोरबा, श्री केदारनाथ अग्रवाल, वरिष्ठ भाजपा नेता एवं संरक्षक जिला सरपंच संघ , कोरबा द्वारा अलग–अलग आवेदक द्वारा प्राप्त 10 आवेदन पत्र (जिनके समतुल्य मुद्दे निम्नानुसार है)–**

- कोल वॉशरी संयंत्र की उत्पादन क्षमता 25 एम.टी.पी.ए. है परिणाम स्वरुप उत्पन्न होने वाले रिजेक्टकोल /वेस्ट प्रोडक्ट के उपयोगिता एवं निस्तारण के संबंध में कोई भी स्पष्ट नीति का उल्लेख नहीं किया गया है।
- संयंत्र में उत्पादन प्रकिया के दौरान बहुत ज्यादा मात्रा में पानी का उपयोग किये जाने वाले जल से उत्पन्न होने वाले दूषित जल के समुचित उपयोग एवं उपचार के लिये स्पष्ट नीति का उल्लेख नहीं किया गया है।
- किसी एक प्रोजेक्ट हेतु तैयार की गई ई.आई.ए. रिपोर्ट के आंकड़े एवं जानकारी अन्य दूसरे ई.आई.ए. रिपोर्ट समावेश नहीं किया जाना चाहिए, ना ही रिपोर्ट में समानता होनी चाहिए? किन्तु कुसमुण्डा कोलवांशरी दी गई जानकारी कुसमुण्डा कोल माइन (क्षमता विस्तार) की जानकारी कॉपी है।
- ई.आई.ए. में कोलवॉशरी के संबंध में दी गई जानकारी पूर्णतः अंग्रेजी में एवं उसकी सार रिपोर्ट के कुछ आंशिक भाग ही हिन्दी में दिये गये है।

5. **श्री बलराम वल्द झाडू राम जाति केंवट, सुभाष, ब्लाक, एसईसीएल.कोरबा** मेरे नाम की ग्राम–जरहाजेल में स्थित भूमि ख. न. 4/2, स/2 रकबा 0.05 एकड़ भूमि में मेरा फौती कटवाकर नौकरी हेतु अन्य व्यक्तियों द्वारा मेरे नाम पर मुझे मृत घोषित कर नामांकन भरा गया है। कृपया दोषियों पर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

6. **माननीय श्री लखनलाल देंवागन, संसदीय सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण, ग्रामोद्योग, 20 सूत्रीय योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग**– विद्युत संयंत्रों में वाश्डकोल के उपयोग किये जाने से राख उत्सर्जन में कमी आयेगी । कोलवॉशरी पूर्व अधिग्रहित भूमि ही स्थापित किया जायेगा। इससे किसी को हानि नही होगी अपितु लोगो रोजगार मिलेगा।

5. **श्री लक्ष्मीकांत जगत, पार्षद, वार्ड क्रमांक 62, नगर पालिक निगम, कोरबा जिला कोरबा, श्रीमती भानुमती जायसवाल, पार्षद वार्ड क्रमांक 54, सर्वमंगला नगर.कोरबा, जिला–कोरबा, श्री लखन लाल राठौर, विधायक प्रतिनिधि, (विधानसभा कटघोरा क्षेत्र), जिला–कोरबा, श्री श्याम सुन्दर कैवर्त, पार्षद, वार्ड क्रमांक 60, गेवरा बस्ती, नगर पालिक निगम, कोरबा, श्रीमती गोमती देवी भारद्वाज, पार्षद, वार्ड क्रमांक 61, नगर पालिक निगम, कोरबा, जिला–कोरबा, श्री आबिद हुसैन, अध्यक्ष के.एस.एस. (सीटू), कुसमुण्डा क्षेत्र, जिला कोरबा, श्री दिलीप कुमार यादव, का. सदस्य/जे.सी.सी. कुसमुण्डा क्षेत्र, श्री लक्ष्मी प्रसाद उपाध्याय, महामंत्री, प्रभारी, एस.ई.के.एम.सी.(इंटक), जिला–कोरबा, श्री ठाकुर मदन सिंह, सचिव, एस.के.एम.एस.कुसमुण्डा क्षेत्र, जिला कोरबा, श्री मिलन कुमार पाण्डेय, अध्यक्ष, कुसमुण्डा क्षेत्र, कोयला मजदूर सभा, (हिमस), श्रीमती कमला बाई,सरपंच ग्राम पंचायत–पाली, जिला–कोरबा, द्वारा अलग–अलग आवेदक द्वारा प्राप्त 11 पत्र (जिनके समतुल्य मुद्दे निम्नानुसार है)**–कोलवॉशरी लगने से गुणवत्तायुक्त कोल का उपयोग विद्युत संयंत्रों में होगा। कोलवॉशरी से कोल धोवन पश्चात् धुले हुये कोयले का परिवहन रेल के द्वारा किया जायेगा । जिससे प्रदूषण के स्तर में भी कमी आयेगी। साथ ही क्षेत्रीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेगें। कोलवॉशरी के धुले हुये कोयले से उपभोक्ता, उद्योगों एवं लघु उद्योग सभी को लाभ होगा। कोलवॉशरी की स्थापना एसईसीएल के अधिग्रहित भूमि में किये जाने प्रदूषण की समस्या नही होगी अतः कोलवॉशरी के स्थापना हेतु पूर्ण समर्थन एवं सहयोग करता हूं।

6. **श्री महेश अग्रवाल,पूर्व पार्षद,नगरपालिक निगम,कोरबा, जिला–कोरबा** - कोलवॉशरी हेतु जारी टी.ओ.आर. में दिये गये शर्तो में आवश्यक पानी की अपूर्ति हेतु संबंधित विभाग से अनुमति, कोयले में पाये जाने वाले भारी धातुओं की जॉच, सी.एच.पी. के कारण हवा में प्रदूषण के प्रभाव का आंकलन , सी.एस.आर.से संबंधित संपूर्ण विवरण, ई.आई.ए. का हिन्दी रुपान्तरण , रिजेक्ट कोल के उपयोग आदि से संबंधी जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट में नहीं दिया गया है।

7. **श्री इतवारदास , ग्राम–दुरपा, भू विस्थापित, सर्वमंगला नगर कोरबा** - मेरे स्थान पर मेरे पुत्र को भूमि के बदले रोजगार दिलाने की कृपा करें। क्योंकि मेरी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहती है।

8. **श्री राजकुमार यादव, ग्राम–बरपाली , जिला–कोरबा** कोरबा शहर एवं कोरबा शहर के आसपास का एरिया पूर्व से ही प्रदूषित है। अतः उक्त प्रोजेक्ट को पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान नहीं किया जावें।

9. **श्री रेशमलाल यादव, खरहरिया, जिला–कोरबा** - कोलवॉशरी के खुलने से कोरबा एवं कोरबा शहर का एरिया प्रदूषित होगा।बड़े–बड़े ट्रकों के आवागमन से वायु प्रदूषण बढ़ेगा।

10. **श्री टिकैतराम , ग्राम–जरहाजेल, जिला–कोरबा** – एसईसीएल पूर्व में जो जमीन अधिग्रहित किया है, उसपर आज दिनांक तक रोजगार एवं बराहट नहीं दिया गया है।

11. **श्री दीनानाथ , जरहाजेल, जिला–कोरबा** – मैं जरहाजेल का निवासी हूं।अभी तक रोजगार मुझे नहीं दिया गया।

12. **श्री योगेन्द्र पाल कौशिक , कोरबा , जिला–कोरबा** – कोरबा जिला पहले से ही प्रदूषित है। कोलवॉशरी खुलने से प्रदूषण का भार और बढ़ेगा। एसईसीएल द्वारा रोजगार नहीं दिया जाता है। अतः स्थानीय निवासी को रोजगार दिया जावें।

13. **श्री ब्रजेश कुमार, पाली, पो.–पडनिया, जिला–कोरबा एवं स्वास्तिक पावर एण्ड मिनरल्स रिसोर्सेस प्रा. लि., ग्राम कनबेरी, जिला–कोरबा**–

- प्रस्तावित कोलवॉशरी से लगभग 100 मीटर की दूरी पर से दायी तट नहर गुजरा हुआ है। जिसके प्रदूषित होने की पूर्ण संभावना है। साथ ही पास में प्रवाहित होने वाली अहिरन एवं हरादेव नदी की प्रदूषित होने की संभावना है।
- कुसमुण्डा खदान के आसपास पूर्व से व्यापक प्रदूषण है। कुसमुण्डा कोलवॉशरी के खुलने से प्रदूषण में वृद्धि होगी।
- कोलवॉशरी के आसपास स्थित गांव पर प्रदूषण का व्यापक असर पड़ेगा।

14. **श्री एल.बी.नायक, महासचिव, इटक, आदर्श नगर कुसमुण्डा, जिला–कोरबा** – कोलवॉशरी की स्थापना होनी चाहिए, क्योंकि कोरबा एवं कोरबा शहर के आसपास के लोगों को रोजगार मिलेगा।

लोक सुनवाई दौरान तथा लोकसुनवाई के पूर्व प्राप्त मुख्य रूप से लिखित/मौखिक चिंताओं/सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियाँ में उठाये गये मुख्य मुद्दों का समावेश निम्नांकित प्रश्नों में किया गया है, जिसके परिपेक्ष्य में श्री संजय पी. शाह, महाप्रबंधक (खनन), मेसर्स कुसमुण्डा ओपन कास्ट कोल माइन, एस.ई.सी.एल, कुसमुण्डा क्षेत्र, जिला कोरबा द्वारा दी गई जानकारी निम्नानुसार समावेशित प्रश्नों के साथ निम्नानुसार है :

1. एसईसीएल प्रबंधन द्वारा कोलवाशरी की पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन (ई.आई.ए.) रिपोर्ट के सेक्शन III में प्रस्तुत संलग्नक की जानकारी कुसमुण्डा ओपन कास्ट कोलमाइन, एसईसीएल, कुसमुण्डा क्षेत्र के क्षमता विस्तार नामेटिव 15 एमटीपीए से 50 एमटीपीए (पीक 18.75 एमटीपीए से 62.50 एमटीपीए) के लोकसुनवाई हेतु प्रस्तुत पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन(ई.आई.ए.) रिपोर्ट के सेक्शन II में प्रस्तुत संलग्नक की पूर्णतः फोटोप्रति है। खदान को प्राप्त टी.ओ.आर. के तहत् परिवेशीय वायु गुणवत्ता पर माइनिंग के प्रभाव के आंकलन हेतु आई.एस.सी.एस.टी (रिवाइज) या लेटेस्ट मॉडल से करना है।

✓ कुसमुण्डा खुली खदान तथा ओलवॉशरी के कोर जोन एवं बफर जोन एक ही है। खुली खदान विस्तार परियोजना का कोयला उत्पादन क्षमता विस्तार हेतु (15.00 मी.टन प्रतिवर्ष से 50.00 मी.टन प्रतिवर्ष (नार्मेटिव) एवं 18.75 मी. टन प्रतिवर्ष पीक से 62.50 मी. टन प्रतिवर्ष (पीक) पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन (ई.आई.ए.) रिपोर्ट में प्रस्तुत बेस लाइन डाटा 15 दिसंबर 2013 से 15 मार्च 2014 का है तथा उक्त डाटा के वैधता भारतसरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आफिस मेमोरेंडम क्रमांक F.NO.J-11013/41/2006-IA-II (I) (part) दिनांक 22.03.2010 एवं 22.08.2014 के तहत 3 वर्ष की है अतः कुसमुण्डा ओवॉशरी के ड्राफ्ट पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन (ई.आई.ए.) रिपोर्ट दिसम्बर, 2015 में वैध बेस लाइन डाटा प्रस्तुत किया गया है।

2. भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा कुसमुण्डा कोल वॉशरी को प्रदत्त TOR के लिए बेस लाईन डाटा जिस लैब से तैयार किया गया है, वो मान्यता प्राप्त है या नहीं। अगर मान्यता प्राप्त है तो लैब का पंजीयन क्रमांक क्या है?

✓ बेस लाईन डाटा VRDS चेन्नई द्वारा तैयार किया गया है। उक्त प्रयोगशाला का एम.ओ.यू. चैन्नई टेस्टिंग लैबोरेटरी प्राईवेट लिमिटेड चैन्नई से है। जो कि नेशनल अक्रेडिक्टेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एण्ड कैलिब्रेशन लैबोरेटीज (NABL) से मान्यता प्राप्त प्रयोग शाला है, तथा इसका पंजीयन क्रमांक T-1873 है। जिसका प्रमाण पत्र दिनांक 20.02.2013 को जारी किया गया है, जिसकी वैधता दिनांक 19.02.2015 है।

3. ई.आई.ए.गे वर्णित भूमि में ग्राम जरहाजोल एवं ग्राम दुरुप से लिये गये क्षेत्र का वर्णन नहीं किया गया है, कारण स्पष्ट करें ?

✓ ई.आई.ए. में कुल भूमि का वर्णन किया गया है। ग्रामवार विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है। ग्राम–दुरुप एवं ग्राम–जरहाजोल के कोलवॉशरी हेतु ली

जाने भूमि की जानकारी निम्नानुसार है (जानकारी हेक्टे. में) :—

ग्राम	काश्तकारी	वनभूमि	शासकीय	कुल भूमि
दुरला	0.700	निरंक	27.205	27.905
जरहाजेल	11.330	निरंक	1.995	13.325
योग	12.030	निरंक	29.200	41.230

4. ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 एवं TOR के अनुसार उपरोक्त परियोजना के लिए उपलब्ध करायी जाने वाली समस्त जानकारी, आंकड़े जो कि अंग्रेजी में हो उनकी प्रमाणित अनुवाद के साथ स्थानीय भाषा (हिन्दी) में उपलब्ध कराया जावेगा।

✓ भारत सरकार पर्यावरण, वन, एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के द्वारा जारी नोटिफिकेशन क्रमांक S.O.1533 दिनांक 14.09.2006 के परिशिष्ट IV बिंदु क्रमांक 2.2 के परिपालन में मंत्रालय द्वारा जारी TOR के अनुसार ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट की सारांश अंग्रेजी एवं स्थानीय भाषा (हिन्दी) में उपलब्ध कराया गया है।

5. कोलवॉशरी के लिए एसईसीएल प्रबंधन द्वारा निविदा कब आमंत्रित की गई है और कौन–कौन से पार्टी के द्वारा निविदा में भाग लिया गया। भाग लिये गये सभी संस्थान भारतीय है या विदेशी संस्थान भी सम्मिलित है?

✓ कोल वॉशरी के लिये निविदा 14.12.2015 को आमंत्रित की गई थी। दिनांक 04.02.2016 को निविदा खोली गई, जिसका तकनीकी मूल्यांकन जारी है। निविदा में भाग लिये गये पार्टी का नाम (1) मेसर्स डीआरए–एल एण्ड टी प्रोजेक्ट प्रा.लि. (2) मेसर्स एस्सार प्रोजेक्ट (इंडिया) लि. (3) मेसर्स एस.के.सामान्ता एण्ड कम्पनी लि. है। उपरोक्त सभी कंपनियां भारतीय है, जबकि निविदा में भाग लिये गये कंपनी क्रमशः 1 एवं 2 सी.आई.एल. – सी.एम.एम के तहत विदेशी कम्पानियों के साथ संयुक्त उपक्रम के तौर पर है।

6. एराईसीएल प्रबंधन पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के पूर्व ही सारी प्रक्रिया पूर्ण कर रहा है, तो लोक सुनवाई की औचित्यिकता क्यों की जा रही है?

✓ पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के पूर्व कोलवॉशरी के स्थापना संबंधी कोई भी कार्य नही किया जा रहा है ना ही किया जावेगा। पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु लोकसुनवाई की प्रक्रिया किया जाना अनिवार्य है। अतः नियमानुसार लोकसुनवाई की प्रक्रिया की गई है।

✓ कोलवॉशरी हेतु निविदा प्रक्रिया दूसरा प्रतिरूप है, चूँकि निविदा प्रक्रिया लम्बी होती है, इसलिये निविदा कार्य पर्यावरण स्वीकृति के समानान्तर किया जा रहा है। कोलवॉशरी के निर्माण का कार्य पर्यावरण स्वीकृति एवं स्थापना सम्मति प्राप्त होने के बाद ही प्रारंभ होगा।

7. कोलवॉशरी संयंत्र की उत्पादन क्षमता 25 एम.टी.पी.ए. है, परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले रिजेक्ट कोल/वेस्ट प्रोडक्ट के उपयोगिता एवं निस्तारण के संबंध में कोई भी स्पष्ट नीति का उल्लेख नहीं किया गया है। कोल वॉशरी से कोल धोवन प्रक्रिया के पश्चात लगभग 78 लाख रिजेक्ट कोल उत्पन्न होगा, जिसका उपयोग कहाँ किया जायेगा ?

✓ रिजेक्ट कोल बेस्ड (एफ.बी.सी.) पावर प्लांट स्थापना हेतु एनटीपीसी तथा अन्य विद्युत उत्पादक कम्पनीयों से वार्ता जारी है। जिस पर एनटीपीसी ने सकारात्मक पहल किया है एवं उससे संबंधित आगे की कार्यवाही जारी है। इसके अतिरिक्त अन्य उद्योगो के उपयोगिता तथा आवश्यकतानुसार विक्रय/लिंकेज के तहत् एम.ओ.यू./एफ.एस.ए. के माध्यम से भी रिजेक्ट कोल/वेस्ट प्रोडक्ट का परिवहन कन्वेयर बैगन के माध्यम से किया जावेगा।

8. यदि रिजेक्ट कोल का भण्डारण आसपास के क्षेत्र में किया जावेगा, तो रिजेक्ट कोल से लगने वाले आगजनी से होने वाले खतरो को हम ग्रामीण कैसे सहन करें ?

✓ रिजेक्ट कोल का भंडारण तीन माह से ज्यादा नही किया जावेगा। रिजेक्ट कोल पर नियंत्रित जल का छिडकाव किया जाएगा , जिससे आगजनी की घटना नही होगा तथा रिजेक्ट कोल के भंडारण के चारो ओर पानी निकासी हेतु नाली का निर्माण किया जाएगा।

9. संयंत्र में उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उपयोग किये जाने वाले जल से उत्पन्न होने वाले प्रदूषित जल के समुचित उपयोग एवं उपचार के लिये स्पष्ट नीति का उल्लेख नहीं किया गया है।

✓ प्रस्तावित कोल वॉशरी को प्रक्रिया बंद जल परिपथ प्रणाली पर आधारित है एवं कोल वॉशरी से उत्पन्न होने वाली समस्त दूषित जल का उपचार प्रणाली के माध्यम से उपचार उपरांत पुनः उपयोग किया जाएगा। कोल धोवन प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार के दूषित जल का निस्सारण उद्योग परिसर के बाहर नही किया जावेगा ।

10. एसईसीएल प्रबंधन द्वारा प्रभावित ग्रामों में पेय जल की समुचित व्यवस्था नहीं कराई गई है। साथ ही निरंतर खनन से भूगर्भित जल पूर्णतः खराब हो चुका है ?

✓ एसईसीएल प्रबंधन द्वारा अर्जित ग्रामों के प्रभावित व्यक्तियों को अलग – अलग पुनर्वास क्षेत्र में बसाया गया है। जहाँ पेय जल हेतु ओव्हर हेड पानी टंकी का निर्माण किया गया है। बोर के माध्यम से पेय जल की व्यवस्था की गई तथा कई स्थानों पर हेण्ड पम्प लगाये गये हैं। साथ ही टैंकर के माध्यम से भी परियोजना के आसपास के ग्रामों पर पेयजल की सुविधाएँ दी जाती है। भूगिगत जल का नियमित अंतराल में गुणवत्ता की जॉच की जाती है एवं खनन कार्य से भूगिगत जल पर कोई दुष्प्रभाव नही हुआ है।

11. कोलवॉशरी को उत्पादन प्रक्रिया हेतु पानी कहाँ से कितनी मात्रा में मिलेगा?

✓ कोलवॉशरी के संचालन के लिये कुल जल की मांग 6470 किलो लिटर प्रतिदिन है, जिसकी आपूर्ति खदान से निकलने वाले जल तथा अनुमति उपरांत अन्य स्त्रोतों द्वारा किया जाएगा।

12. किसी एक प्रोजेक्ट हेतु तैयार की गई ई.आई.ए. रिपोर्ट के आकड़े एवं जानकारी अन्य दूसरे ई.आई.ए. रिपोर्ट में समावेश नही किया जा सकता है।

- ✓ कुसमुण्डा खुली खदान तथा कोल वॉशरी के कोर जोन एवं बफर जोन एक ही है। कुसमुण्डा कोलवॉशरी परियोजना , कुसमुण्डा कोल माइन क्षमता विस्तार (15.00 मी.टन प्रतिवर्ष से 50.00 मी.टन प्रतिवर्ष (नार्मेटिव) एवं 18.75 मी. टन प्रतिवर्षपीक से 62.50 मी. टन प्रतिवर्ष (पीक) द्वारा अधिग्रहित भूमि के अंतर्गत है। अतः परियोजना का स्थल एक होने से कोलवॉशरी हेतु तैयार किये गये बेस लाइन डाटा कुसमुण्डा माइन के बेस लाइन डाटा के समान है जिसकी वैद्यता 03 वर्ष तक है।

13. उद्योग में होने वाले जल खपत के लिए संबंधित विभाग से अनुमति लिये जाने की जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट में नही दी गई है।

- ✓ कोलवॉशरी संयंत्र में उपयोग होने वाले जल की अनुमति हेतु आवेदन संबंधित विभाग में किया गया है।

14. एन.जी.टी., नई दिल्ली के अपील क्रमांक 20/2012 दिनांक 31/05/2012 में आदेश पारित कर निर्देशित किया गया था कि सभी उद्योग/खदान जारी टी.ओ. आर. का पूर्ण रूप से पालन करें, जिसके तहत हैवी मेटल एनालिसिस, प्रदूषण का आंकलन आदि किया जाना है किन्तु प्रबंधन द्वारा माननीय एन.जी.टी. के आदेश का भी पालन नही किया गया है।

- ✓ कुसमुण्डा कोल वॉशरी हेतु तैयार किया गया ड्राफ्ट ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट में प्रस्तुत बेस लाईन डेटा में प्रदूषण के प्रभाव का आंकलन किया गया है। माननीय एनजीटी के आदेशानुसार भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी टी.ओ.आर. का पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा। हैवीमेटल की एनालिसिस सीएमपीडीआई/सीआईएनएफआर द्वारा कराई जाएगी।

15. कार्पोरेट इनवायरोमेंट रिसपांसिबिलिटी की जानकारी नहीं दी गई है।

✓ कार्पोरेट इनविरोमेंट रिस्पांसबिलिटी की जानकारी फाइनल ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट में प्रस्तुत की जाएगी।

16. प्रस्तावित उद्योग 25 एम.टी.पी.ए. कुसमुण्डा कोलवॉशरी संयंत्र को कोरबा क्षेत्र के शहरी परिदृश्य के परिधि से 15 कि.मी. के दायरे से किसी अन्य स्थल में स्थानान्तरित किया जाए।

✓ प्रस्तावित कोल वॉशरी का स्थापना कुसमुण्डा विस्तार खुली खदान परियोजना के पिट हेड पर पूर्व मे अधिग्रहित भूमि पर है। कोल वॉशरी के लिए रॉ कोयला कुसमुण्डा विस्तार खुली खदान से ढके हुए बेल्ट के माध्यम से कराया जाएगा। कोल वॉशरी में कोयला धुलाई के बाद धुली हुई कोयला ढके हुए बेल्ट के माध्यम से रेल्वे साइलो साईडिंग तक कराया जाएगा तथा साईलो साईडिंग से रेल के माध्यम से कराया जाएगा। इससे परिवहन के दौरान वायु प्रदुषण का दुस्प्रभाव नहीं होगा। यदि वॉशरी की स्थापना किसी अन्य स्थान में किया जाये तो निर्माण कार्य हेतु किसी उपयोगी भूमि का अधिग्रहण करना पड़ेगा। तथा खदान से दूरी बढ़ने के कारण रॉ कोयला एवं धुली हुई कोयला के परिवहन के दौरान वायु प्रदुषण का दुष्प्रभाव पड़ेगा।

17. किसी भी उद्योग/खदान को स्थापित करने हेतु आसपास के रहवासी क्षेत्र/बस्ती से निर्धारित दूरी कितनी होनी चाहिये, यदि दुरपा से 200 मीटर की दूरी पर कोलवॉशरी लगाई जा रही है तो क्या ये प्रावधानों के अंतर्गत है?

✓ किसी भी उद्योग/ खदान को स्थापित करने हेतु आसपास के रहवासी क्षेत्र /बस्ती से निर्धारित दूरी के संबंध में कोई दिशा निर्देश नही है। ग्राम दुरपा का विस्थापन बसाहट स्थल सर्वमंगलानगर में किया जा चुका है। प्रस्तावित कोल वॉशरी से बसाहट स्थल सर्वमंगलानगर की न्यूनतम दूरी लगभग 950 मीटर है।

18. कोलवॉशरी का संचालन होने से जल तथा वायु प्रदुषण के स्तर में वृद्धि होगी, क्योंकि कोरबा क्रिटिकली पोलुटेड जोन के अंतर्गत आता है।

✓ केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा सन् 2008 में कोरबा एक्शन प्लान लागू किया गया है। कोरबा एक्शन प्लान के तहत् ही कुसमुण्डा प्रोजेक्ट में कोल वॉशरी स्थापना करने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देशों के परिपालन में ही कोल वॉशरी का स्थापना किया जा रहा है। कोल वॉशरी के स्थापना/संचालन से कोरबा शहर एवं कोरबा शहर के आसपास संचालित विद्युत संयंत्र में रॉ-कोयला के स्थान पर धुले हुए कोयला का उपयोग होगा, जिससे कोरबा शहर एवं कोरबा शहर के आसपास प्रदूषण स्तर में व्यापक कमी आएगी, साथ ही विद्युत संयंत्रों में उत्पन्न होने वाली फ्लाई ऐश की मात्रा में कमी आयेगी। वर्तमान में क्रिटिकल पाल्युटेड जोन से कोरबा को अस्थायी तौर पर हटा दिया गया है।

19. ग्राम जरहाजेल के निवासियों का आज दिनांक तक पुर्नवास नही किया गया है। पुर्नवास पश्चात उन्हे कहां बसाहट दिया जायेगा। जानकारी देवे ?

✓ ग्राम जरहाजेल का अर्जन वर्ष 1978 एवं 1983 में किया गया था तथा तत्कालीन लागू नीति के तहत् सभी तरह की भुगतान किया जा चुका है।

20. ग्राम दूरपा को पुर्नवासित तो किया गया है, किन्तु पूर्ण विकास एवं मूलभूत सुविधा आज दिनांक तक नहीं की गई है ? क्यो। ग्राम दूरपा मे आज दिनांक तक एक भी तालाब निर्माण नहीं किया गया है ?

✓ ग्राम दुरपा के विस्थापित परिवारो को सर्वमंगलानगर बसाहट स्थल में बसाया गया है, जहॉं पर सड़क, बिजली, पानी की टंकी, विद्यालय, डिस्पेंसरी, खेल का मैदान, बाजार हाट, मुक्तिधाम, सामुदायिक भवन आदि की सुविधाएँ प्रदान किया गया है। संबंधित ग्राम में तालाब का निर्माण किया गया है।

21. एसईसीएल द्वारा बसाहट/पुर्नवास के लिए जिस सेक्शन 9 एवं सेक्शन–4 के तहत् भूमि अधिग्रहण किया जाता है. उस सेक्शन–9 एवं सेक्शन 4 की परिभाषा/उद्देश्य क्या है ? स्पष्ट कीजिए।

✓ एसईसीएल द्वारा बसाहट/पुनर्वास हेतु शासकीय भूमि का अधिग्रहण मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 के माध्यम से किया गया है, उक्त भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया में सेक्शन 4(1) एवं सेक्शन 9(1) का प्रावधान नही है।

22. जिस स्थल पर सघन वृक्षारोपण किया गया है। उसी स्थल पर कोलवाशरी का स्थापना की जा रही है ।

✓ कोल वॉशरी की स्थापना वृक्ष विहीन क्षेत्र में की जा रही है। कोलवॉशरी के चारो ओर ग्रीन बेल्ट विकसित किया जावेगा।

23. एसईसीएल प्रबंधन द्वारा पौधा रोपण नहीं किया जाकर लगे हुये पैधों को काटा जा रहा है। केवल बबूल या कटीली झाड़ियो जैसे पौधा का रोपण किया जाता है, छायादार पौधों का रोपण नहीं किया जाता है।

✓ एसईसीएल कुसमुण्डा क्षेत्र द्वारा प्रत्येक वर्ष में विभिन्न प्रजातियें के पौधो का रोपण किया जाता है , जिसके तहत् आज दिनांक तक 21.42 लाख पौधे का रोपण किया जा चुका है। वर्ष 2016 में भी 180500 नग पौधो का रोपण का कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

24. कोल वॉशरी के संचालन से वाहनों की संख्या में वृद्धि होने से वायु प्रदुषण (डस्ट प्रदुषण) में वृद्धि होगी।

✓ कुसमुण्डा विस्तार खुली खदान से कोल वॉशरी तक रॉ–कोल एवं कोलवॉशरी से धोवन पश्चात धुले हुये कोल का परिवहन रेल्वे साईलो साईडिंग तक डके हुए कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से किया जाएगा। अतः कोलवॉशरी के संचालन से वाहनो की संख्या में कोई वृद्धि नही होगी तथा परिवहन के दौरान वायु प्रदूषण के स्तर में वृद्धि नहीं होगी।

25. कोल वॉशरी के संचालन से वाहनों की संख्या में वृद्धि होने से सड़क हादसों में वृद्धि होगी, जिसका जिम्मेदार कौन होगा ?

✓ कुसमुण्डा विस्तार खुली खदान से कोल वॉशरी तक रॉ कोल एवं कोलवॉशरी से धोवन पश्चात धुले हुये कोल का परिवहन रेल्वे साईलो साईडिंग तक ढके हुए कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से किया जाएगा। अतः कोलवॉशरी के संचालन से वाहनो की संख्या में कोई वृद्धि नही होगी तथा जिससे कोल वॉशरी के संचालन से वाहनो की संख्या में कोई वृद्धि नही होगी तथा सड़क हादसो की सम्भावना नही रहेगी।

26. कोल वॉशरी में जल का उपयोग बहुत होगा, जिससे आसपास के क्षेत्र में जल संकट पैदा होगा।

✓ प्रस्तावित कोल वॉशरी के संचालन की प्रक्रिया बंद जल परिपथ प्रणाली पर आधारित है एवं धुलाई के दौरान 75 प्रतिशत से ज्यादा पुनः चक्रित जल उपयोग किया जायेगा तथा कोई भी पानी बाहर नही जायेगा। इसके उपरान्त समय–समय पर जल स्तर का नियंत्रण किया जाएगा एवं कोल वॉशरी भूमि एवं सीमा के चारों ओर अतिरिक्त जल स्तर बढाने के लिये वर्षा जल का संग्रहण किया जाएगा।

27. एसईसीएल प्रबंधन द्वारा जरहाजोल दुरपा की अर्जित की गई भूमि का मुआवजा एवं नौकरी नही दी गई है।

✓ ग्राम दुरपा के अंतर्गत अर्जित कुल कास्तकारी भूमि रकबा 396.382 हेक्टेयर भूमि के तहत् कुल 667 खातेदार को मुआवजा का भुगतान किया जा चुका है तथा उक्त खातेदारों में से 563 प्रभावित व्यक्तियों को रोजगार दिया जा चुका है शेष 104 खातेदारो में से उनके अर्जित भूमि के एवज में रोजगार हेतु कुल 100 आवेदन प्राप्त हुए जिस पर रोजगार हेतु गठित क्षेत्रीय स्क्रीनिंग कमेटी कुसमुण्डा क्षेत्र द्वारा कार्यवाही की गई है, जिसका विवरण इस प्रकार है:–

1. जांचोपरांत पात्र पाये गये प्रकरणो पर मुख्यालय स्तर/क्षेत्रीय स्तर पर कार्यवाही की जा रही है– 02
2. प्रत्यक्ष वैधिक वारिस पुरूष नही होने के कारण अपात्र किये गये है,उसकी संख्या– 68
3. सकल परिवार का तहसीलदार /अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी वंशवृक्ष जमा नही करने के कारण निरस्त– 21
4. चाही गई वांछित भूमि संबंधित दस्तावेज जमा नही किये जाने पर प्रकरण को निरस्त किया गया है– 07
5. भूमि अधिग्रहण के पश्चात् जन्म लेने वाले आश्रित के प्रकरण जिस निरस्त किया गया है 01
6 भूस्वामित्व की तिथि अर्जन के बाद होने के कारण अपात्र– 01
7. रोजगार हेतु आवेदन प्राप्त नही हुए है,जिसकी संख्या 04

इसी प्रकार ग्राम जरहाजेल के अंतर्गत कुल अर्जित रकबा 114.943 हेक्टेयर कास्तकारी भूमि के एवज कुल 330 खातेदारों को मुआवजा का भुगतान किया जा चुका है, तथा उक्त खातेदारो में से 271 प्रभावित व्यक्तियों को रोजगार दिया जा चुका है. शेष 59 खाते पर 70 भूविस्थापितों द्वारा अपने रोजगार हेतु आवेदन जमा किया गया है, जिस पर रोजगार हेतु गठित क्षेत्रीय स्क्रीनिंग समिति कुसमुण्डा क्षेत्र द्वारा कार्यवाही की गई है, जिसका विवरण इस प्रकार है:

1. प्रत्यक्ष वैधिक वारिस पुरूष नही होने के कारण अपात्र किये गये है,उसकी संख्या 31
2. सकल परिवार का तहसीलदार /अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी वंशवृक्ष जमा नही करने के कारण निरस्त– 21
3. चाही गई वांछित भूमि संबंधित दस्तावेज जमा नही करने के कारण निरस्त– 13

4. भूमि अधिग्रहण के पश्चात उम्मीदवार का जन्म होने के कारण अपात्र–04

5. पूर्व में सीबीए के तहत अर्जित भूमि पर रोजगार की सुविधा प्रदान के कारण अपात्र– 01

वर्तमान में कलेक्टर महोदय, कोरबा(छ.ग.) द्वारा भूविस्थापितों के संबंध में पूर्व में उपरोक्तानुसार लंबित प्रकरणो पर पुनर्विचार करते हुए निराकरण हेतु निर्देशित किया गया है।

28. एसईसीएल प्रबंधन, द्वारा विस्थापित ग्राम जरहाजेल, दुरपा में शिक्षा, स्वास्थ्य बिजली ,पानी की सुविधा उपलब्ध नही कराया गया है।

✓ एसईसीएल प्रबंधन द्वारा ग्राम दुरपा की जमीन का अधिग्रहण वर्ष 1986 में किया गया है जिसकी मुआवजा राशि वर्ष 1991 में वितरण किया गया है। वर्ष 1991 में मध्यप्रदेश पुनर्वास नीति लागू किया गया, जिसके तहत ग्राम दुरपा के विस्थापित कुल 598 परिवारो को एवं सुविधायुक्त मूलभूत व्यवस्थाओं से सम्पन्न बसाहट क्षेत्र रामंगलानगर में बसाया गया हैं । ग्राम जरहाजेल का अर्जन वर्ष 1978 एवं 1983 में किया गया था तथा तत्कालीन लागू नीति के तहत सभी तरह की भुगतान किया जा चुका है।

29. कोरबा शहर पूर्व से औद्योगिक शहर है अतः प्रदूषण की व्यापक समस्या है । अतः कोल वॉशरी की स्थापना नही की जानी चाहिए।

✓ कोल वॉशरी मे धुली हुई कोयला के उपयोग से विद्युत संयंत्रों में उत्पन्न होने वाली फ्लाई एश की मात्रा में कमी आएगी, जिससे फ्लाई एश के कारण होने वाली प्रदूषण में कमी आवेगी। परिवहन क्षेत्र में ऊर्जा संरक्षण होगा एवं परिवहन लागत में कमी होगी । कोयले की गुणवत्ता में वृद्धि एवं अशुद्धता में कमी, वायु प्रदुषण नियंत्रण प्रणाली में दबाव मे कमी होगी ।

30. ग्राम सुराकछार से कोरबा की ओर जाने वाली सड़क मार्गो पर प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। प्रबंधन द्वारा इसके लिए क्या व्यवस्था की गई है ?

✓ इस मार्ग पर व्याप्त वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु निरंतर टैंकर के माध्यम से पानी का छिड़काव किया जाता है। जिससे वायु प्रदूषण नियंत्रण में रहता है।

31. ई.आई.ए. के अनुसार कोलवॉशरी को कुसमुण्डा क्षेत्र द्वारा अधिग्रहित भूमि में लगाने की जानकारी दी गई है किन्तु कोलवॉशरी की स्थापना वन भूमि में की जा रही है?

✓ कोल वॉशरी कुसमुण्डा क्षेत्र द्वारा अधिग्रहित कास्तकारी एवं शाराकीय भूमि में स्थापित की जा रही है, इसमें वनभूमि नही है।

32. कोलवॉशरी के स्थापना के पश्चात होने वाले जल एवं वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु खदान प्रबंधन द्वारा क्या व्यवस्था की गई है ? साथ ही सड़क मार्गों का चौड़ीकरण एवं सड़क मार्गो पर बिजली की व्यवस्था क्यों नहीं की गई है ?

✓ कोल वॉशरी के स्थापना के पश्चात् होने वाले जल एवं वायु प्रदुषण के नियंत्रण हेतु प्रबंधन द्वारा निम्नलिखित उचित एवं कारगर उपाय अपनाया जाएगा:-

- **जल प्रदुषण के नियंत्रण हेतु** प्रस्तावित कोलवॉशरी की प्रकिया बंद जल परिपथ प्रणाली पर आधारित है, जिससे उत्पन्न दूषित जल को उपचार उपरांत पुर्नउपयोग कर लिया जायेगा तथा किसी प्रकार दूषित जल का निस्सारण उद्योग परिसर के बाहर नही किया जायेगा।

- **वायु प्रदुषण के नियंत्रण हेतु**- कोलवॉशरी से उत्पन्न वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु नियमित जल का छिड़काव तथा डस्ट एक्सट्रेक्शन सिस्टम स्थापित किया जावेगा। साथ ही कवर्ड कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से कोल का परिवहन किया जावेगा तथा अस्थायी रिजेक्ट कोल के भंडारण से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु नियमित जल छिड़काव किया जा रहा है। कोल वॉशरी साईट एवं उसके चारो ओर ग्रीन बेल्ट विकसित किया जायेगा।

कुसमुण्डा विस्तार खुली खदान से कोल वॉशरी तक रॉ-कोल एवं कोलवॉशरी

से धोवन पश्चात धुले हुये कोल का परिवहन रेल्वे साईलो साईडिंग तक ढके हुए कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से किया जाएगा। वर्तमान मे इमलीछापर चौक से वैशालीनगर तक प्रकाश व्यवस्था किया गया है तथा वैशालीनगर से सर्वमंगलानगर पुलिस चौकी तक के प्रकाश व्यवस्था हेतु निविदा जारी की गई है। यह कार्य शीघ्र ही पूर्ण किया जायेगा। इमलीछापर चौक से सर्वमंगलपुल तक सड़क मार्ग का निर्माण/ सुधार कार्य एसईसीएल द्वारा कराया गया है।

33. कुसमुण्डा माईन के दूषित जल का निस्सारण आसपास के नदी नालों में किया जाता है, कोलवॉशरी स्थापना के पश्चात आसपास स्थित नदी–नालों में दूषित जल निस्सारण होने की पूर्ण संभावना है?

✓ कुसमुण्डा माईन के दूषित जल को दूषित जल उपचार प्रणाली के माध्यम से उपचार किया जाता है। उपचार उपरांत उक्त जल का उपयोग खदान के धूल शमन, अग्नि शमन तथा वृक्षा रोपण आदि में किया जाता है एवं कोई भी पानी नदी नाले में निस्सारण नही किया जाता हैं। प्रस्तावित कोल वॉशरी की प्रक्रिया बंद जल परिपथ प्रणाली पर आधारित है, जिसमें दूषित जल उपचार प्रणाली के माध्यम से उपचार उपरांत जल का पुनः उपयोग कोलवॉशरी में किया जाएगा किसी भी प्रकार के दूषित जल का निस्सारण नदी नाले में नही किया जाएगा। अतः कोलवॉशरी की स्थापना से नदी नालो में दूषित जल निस्सारण होने की कोई संभावना नही है।

34. प्रस्तावित कोलवॉशरी स्थल से 01 कि.मी. की दूरी पर हसदेव नदी एवं 02 कि.मी. की दूरी पर आंहेरन नदी प्रवाहित होती है। वॉशरी के धूल कण से नदी का पानी दूषित होगा एवं जीवों पर बुरा असर पड़ेगा।

✓ प्रस्तावित कोल वॉशरी की प्रक्रिया बंद जल परिपथ प्रणाली पर आधारित है, जिसमें दूषित जल उपचार प्रणाली के माध्यम से उपचार उपरांत जल का पुनः उपयोग कोलवॉशरी में किया जाएगा। किसी भी प्रकार के दूषित जल का निस्सारण नदी नाले में नही किया जाएगा। अतः कोलवॉशरी के दूषित

जल एवं कोलवॉशरी के धूल कण से न तो हसदेव नदी ना ही अहिरन नदी वॉशरी प्रदूषित होगा। जीवो पर भी बुरा असर पड़ने की संभावना भी नही है।

35. ई आईए रिपोर्ट में देश में रिजेक्ट कोयला आधारित (एफबीसी एण्ड सीएफबीसी) कुल कितने विद्युत संयंत्र स्थापित है। उक्त विद्युत संयंत्रो के उत्पादन क्षमता की जानकारी ?

✓ कोल इंडिया द्वारा कोलवॉशरी रिजेक्ट का उपयोग हेतु एफबीसी आधारित 07 नग, 10 मेगावॉट के विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया है मेल द्वारा वॉशरी रिजेक्ट आधारित 13 नग एएफबीसी बॉयलर स्थापित किया गया है।

36. एफबीसी एण्ड सीएफबीसी बायलर आधारित विद्युत संयंत्र में एक मेगावॉट विद्युत उत्पादन में औसतन कितना टन रिजेक्ट कोल की व्यवस्था होगी।

✓ लगभग 20000 टन कोलवॉशरी रिजेक्ट 1 मेगावॉट विद्युत उत्पादन में खपत होता है। कुसमुण्डा कोलवॉशरी के रिजेक्ट से लगभग 400–500 मेगावॉट विद्युत उत्पादन किया जा सकता है।

37. कोरबा जिले में स्थापित कोलवॉशरी से प्रतिवर्ष कुल कितना टन रिजेक्ट कोल उत्पन्न हो रहा है एवं कुल कितनी मात्रा में रिजेक्ट कोल की खपत हो रहा है,की जानकारी भी ईआईए में नही दिया गया है।

✓ यह कुसमुण्डा कोल वॉशरी से संबंधित नही है।

38. प्रस्तावित कोल वाशरी से निकलने वाली 7.6 एमटीपीए रिजेक्ट कोल का उपयोग किन संयत्रो द्वारा किया जाएगा । उनके एमओयू की प्रतिलिपि उपलब्ध कराई जाए ?

✓ रिजेक्ट कोल एफ.बी.सी. पावर प्लांट स्थापना हेतु एनटीपीसी तथा अन्य विद्युत उत्पादन कम्पनीयों से वार्ता जारी है। जिस पर एनटीपीसी ने सकारात्मक पहल किया है एवं उससे संबंधित आगे की कार्यवाही जारी है। इसके अतिरिक्त अन्य उद्योगो के उपयोगिता तथा आवश्यकतानुसार

विक्रय/लिंकेज के तहत एम.ओ.यू. के माध्यम से भी रिजेक्ट कोल/वेस्ट प्रोडक्ट का निस्तारन होगा, अभी तक किसी कम्पनी से एमओयू नही हुआ है।

39. जिन संयंत्रो द्वारा वाश्ड कोल का उपयोग किया जाएगा, उन संयत्रो के साथ किये गये एमओयू की प्रति उपलब्ध करायें।

- ✓ वर्तमान कुसमुण्डा माइन से कोल प्राप्त करने वाले विद्युत संयंत्र को एवं ई.आई.ए. वर्णित अन्य उद्योगों को कोलवॉशरी से धुले हुये कोल प्रदाय किया जावेगा।

40. माइन्स के 524 हे. भूमि विगत 37 वर्षो से कोयले का उत्पादन किया जा रहा है बावजूद इसके 41 हे. भूमि कोलवाशरी के लिये कहा से उपलब्ध हो गई।

- ✓ प्रस्तावित कोल वॉशरी की स्थापना कुसमुण्डा परियोजना द्वारा पूर्व में अर्जित एवं उपयोग में लाये गये भूमि पर ही लगाया जाएगा।

41. कुसमुण्डा कोल माइन परियोजना द्वारा कुल कितने हेक्टेयर समतल भूमि पर वृक्षारोपण किया गया है? कुल वृक्षारोपण की संख्या, वृक्षारोपण का क्षेत्रफल आदि की जानकारी उक्त ईआईए रिपोर्ट में नही दी गई है।

- ✓ कुसमुण्डा क्षेत्र द्वारा समतल भूमि पर 293.45 हेक्टे. भूमि में 751150 नग वृक्षारोपण किया गया है।

42. टी.ओ.आर.और ईआईए रिपोर्ट में अक्षांश एवं देशान्तर व प्रस्तावित परियोजना में सामानता नही है।

- ✓ प्रस्तावित कोलवॉशरी के अक्षांश 22^{0}20'16" से 22^{0}20'42" उत्तर, देशांतर 82^{0}40'06"से 82^{0}40'43" पूर्व है।

उद्योग प्रतिनिधि द्वारा यह भी बताया गया कि प्राप्त चिंताओं/सुझाव/विचार/टीका टिप्पणी एवं आपत्तियों पर समाधानकारक कार्यवाही करते हुए वर्तमान में बनाये गए प्रारूप ई.आई.ए. रिपोर्ट में समाहित किया जाकर अंतिम ई.आई.ए. रिपोर्ट बनाकर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

आयोजित लोक सुनवाई के समस्त कार्यवाहियों की विडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी कराते हुए निर्धारित समयानुसार लोक सुनवाई की कार्यवाही पूर्ण की गई।

लोक सुनवाई के पूर्व 13 एवं लोक सुनवाई के दौरान 27 कुल 40 लिखित में चिंताओं/सुझाव/विचार/टीका टिप्पणी एवं आपत्तियां तथा लोक सुनवाई के दौरान 42 व्यक्तियों के द्वारा अभिव्यक्त चिंताओं/सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियों का अभिलिखित पत्रक, लोक सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों का उपस्थिति पत्रक, विडियो सी.डी. एवं फोटोग्राफ्स के साथ लोक सुनवाई कार्यवाही संलग्न कर विवरण सदस्य सचिव, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर की ओर आगामी कार्यवाही हेतु अग्रेषित किया जा रहा है।

क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, कोरबा

अपर कलेक्टर
कोरबा (छ.ग.)
अपर कलेक्टर, कोरबा, जिला–कोरबा (छ.ग.)